



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)।

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

R. 2930-512

1. अनन्त सिंह उम्र 60 वर्ष पेशा खेती बल्द
अच्छे लाल यादव निवासी ग्राम कंचनपुर
तहसील गुनौर, जिला पन्ना म0प्र0।
2. श्रीमती रम्मी बाई उर्फ रामबाई यादव उम्र
55 वर्ष पेशा कृषि पिता बलवान सिंह यादव
पत्नी सीताराम यादव निवासी ग्राम कंचनपुर
तहसील गुनौर, जिला पन्ना म0प्र0।

----- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1. श्रीमती हल्की बाई यादव उम्र 35 वर्ष पेशा
कृषि पुत्री बलवान सिंह यादव पत्नी सरदार
सिंह यादव निवासी ग्राम बिलखुरा, तहसील
पन्ना, जिला पन्ना म0प्र0।
2. श्रीमती कुसुम बाई यादव उम्र 50 वर्ष पेशा
कृषि, पिता बलवान सिंह यादव, पत्नी बेटू
यादव निवासी ग्राम गुनौर, तहसील गुनौर,
जिला पन्ना म0प्र0।

----- पुनरीक्षणग्रहीतागण

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गुनौर राजस्व प्रकरण कमांक 47/अ-27/वर्ष 2011-12 हल्की बाई विरुद्ध अनन्त सिंह यादव वगैरह आदेश दिनांक 10.07.2012 जिसके द्वारा तहसीलदार गुनौर तहसील गुनौर जिला पन्ना म0प्र0 की नामान्तरण पंजी कमांक 14 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2006 निरस्त कर कुल किता 14 कुल रकवा 2.208 हे0 स्थित ग्राम सिली का नामान्तरण कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने का निर्देश तहसीलदार गुनौर को दिया।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 88
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

श्री अजय श्रीविकास, पंजी
द्वारा आज दि. 28-8-12 को
प्रस्तुत
क
28-8-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

★ 143
अनुविभागीय अधिकारी

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2930-दो/2012

जिला-पन्ना

अनन्त सिंह व अन्य विरुद्ध श्रीमती हल्की बाई व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुनौर, जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 47/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-07-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>